



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आश्विन 1947 (श10)

(सं0 पटना 1682) पटना, शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

17 अक्टूबर 2025

सं० एम०-2-01/2025-36—भारत निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के साथ पठित धारा 30 के अधीन प्रथम चरण के लिये जारी अपनी अधिसूचना संख्या-464/पूर्व अनु-1/बिहार-वि.स./2025 दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा आम निर्वाचन क्षेत्रों क्रमशः 131—कल्याणपुर (अ.जा.), 132—वारिसनगर, 133—समस्तीपुर, 134—उजियारपुर, 135—मोरवा, 136—सरायरंजन, 137—मोहिउद्दीननगर, 138—विभूतिपुर, 139—रोसड़ा (अ.जा.) एवं 140—हसनपुर के लिए दिनांक 6 नवम्बर 2025 (बृहस्पतिवार) को होने वाले मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे के रूप में नियत किया था, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना संख्या-464/पूर्व अनु-1/बिहार-वि.स./2025 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 के द्वारा उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय में परिवर्तित करते हुए प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक करने का निर्णय लिया गया है से संबंधित अधिसूचना (हिन्दी एवं अंग्रेजी) प्रति सर्वसाधारण की जानकारी लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली 110001/दिनांक 14 अक्टूबर, 2025/22 आश्विन, 1947(शक)

सं० 464/पूर्व अनु-1/बिहार-वि.स./2025:- यतः भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के साथ पठित धारा 30 के अधीन प्रथम चरण के लिये जारी अपनी अधिसूचना संख्या 464/पूर्व अनु-1/बिहार-वि.स./2025 दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 द्वारा बिहार राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों क्रमशः 131-कल्याणपुर (अ.जा.), 132-वारिसनगर, 133-समस्तीपुर, 134-उजियापुर, 135-मोरवा, 136-सरायरंजन, 137-मोहिउद्दीननगर, 138-विभूतिपुर, 139-रोसड़ा (अ.जा.) एवं 140-हसनपुर के लिए दिनांक 6 नवम्बर, 2025 (बृहस्पतिवार) को होने वाले मतदान का समय प्रातः 7.00 बजे से सायं 5.00 बजे के रूप में नियत किया था।

यतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्ट पर विचार करने और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सहित अन्य सभी तथ्यात्मक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य में उक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदान का समय परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, और

अतः अब साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग उपरोक्त अधिसूचना संख्या 464/पूर्व अनु-1/बिहार-वि.स./2025 दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना की सारणी में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामने के कॉलम (2) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	मतदान का समय
(1)	(2)
131-कल्याणपुर (अ०ज०)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
132-वारिसनगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
133-समस्तीपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
134-उजियापुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
135-मोरवा	प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
136-सरायरंजन	प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
137-मोहिउद्दीननगर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
138- विभूतिपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
139-रोसड़ा (अ०जा०)	प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक
140-हसनपुर	प्रातः 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक

आदेश से,
अरविन्द आनन्द, प्रधान
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated 14th October, 2025/

22 Asvina, 1947(Saka)

No.464/ES-I/BR-LA/2025:- WHEREAS, the Election Commission of India by its Notification No. 464/ES-I/BR-LA/2025, dated 10th October, 2025 issued under Section 30 read with Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) for first Phase had fixed **Hours of Poll from 7.00 AM to 5.00 PM** for the polls to be taken on **6th November, 2025 (Thursday)** in 131-Kalyanpur (SC), 132-Warisanagar, 133-Samastipur, 134-Ujiarpur, 135-Morwa, 136-Sarairanjan, 137-Mohiuddinnagar, 138-Bibhutipur, 139-Rosera (SC), and 140-Hasanpur Assembly Constituencies in the State of Bihar.

WHEREAS, after considering the reports of Chief Electoral Officer, Bihar and taking into account all other material circumstances including the Law and Order scenario, the Election Commission of India has decided to change the hours of poll in aforesaid Assembly Constituencies in the State of Bihar, and

NOW, THEREFORE, in the exercise of powers conferred by Section 56 of the Representation of People Act, 1951 read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Election Commission of India makes the following amendment in its notification No. 464/ES-I/BR-LA/2025, dated 10th October, 2025 referred to above, namely:-

In the Table of the said Notification, in place of the existing entry in Column (2), against the Assembly Constituency, the following entries shall be substituted, namely:-

TABLE

No. and Name of Assembly Constituency	Hours of Poll
(1)	(2)
131-kalyanpur (SC)	07: AM to 06.00 PM
132-Warisanagar	07: AM to 06.00 PM
133-Samastipur	07: AM to 06.00 PM
134-Ujiarpur	07: AM to 06.00 PM
135-Morwa	07: AM to 06.00 PM
136-Sarairanjan	07: AM to 06.00 PM
137-Mohiuddinnagar	07: AM to 06.00 PM
138- Bibhutipur	07: AM to 06.00 PM
139- Rosera (SC)	07: AM to 06.00 PM
140-Hasanpur	07: AM to 06.00 PM

By Order,

ARVIND ANAND,

PRINCIPAL SECRETARY,

TO THE ELECTION COMMISSION OF INDIA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1682-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>